संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी)

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023

संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक **1 अक्टूबर, 2023** को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, **2023** का आयोजन करेगा। यह परीक्षा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या 30 है **(सामान्य वर्ग- 25, अ.जा.- 04, अ.ज.जा.- 01) ।**

2. यह परीक्षा केवल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत कुछेक श्रेणियों के विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित है। **पात्रता की शर्तों, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा योजना, शारीरिक तथा चिकित्सा मानदंड आदि संबंधी विवरण की जानकारी के लिए उम्मीदवार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.05.2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित इस परीक्षा के नियमों का अवलोकन करें। इन्हें सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisf.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये नियम संघ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।**

3. **आवेदन कैसे करें/अंतिम तिथि**

3.1 उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** का प्रयोग करते हुए **ऑनलाइन** आवेदन पत्र भरना होगा। यदि आवेदक ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्लेटफॉर्म में पंजीकरण नहीं कराया है, जिसका लिंक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है, तो उसे इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना चाहिए और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र **24 मई, 2023 से 13 जून, 2023** तक भरा जा सकता है, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

3.2 ओटीआर विवरण में संशोधन:

यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफार्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी | ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 7 दिनों तक उपलबध रहेगी | इस मामले में ओटीआर पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख 20.06.2023 होगी |

3.3 <u>आवेदन पत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त):</u>

आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के 7 दिनों के बाद, इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके खुलने की तारीख से 7 दिनों के लिए अर्थात 14.06.2023 से 20.06.2023 तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर प्लेटफार्म में लॉग-इन करके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन पत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

3.4 उम्मीदवारों को ऑनलाइन रूप से जमा किए गए आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति, उचित माध्यम से, सीआईएसएफ प्राधिकारियों को निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी: **महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 13, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003**, ताकि समुचित सत्यापन के उपरांत इन आवेदन पत्रों को आयोग को अग्रेषित किया जा सके।

4. आयोग ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु उम्मीदवारों के लिए समय - सीमा निर्धारित की है जो परीक्षा की तिथि के अगले दिन से 7 वें दिन सायं 6.00 बजे तक है। ऐसे अभ्यावेदन यूआरएल URL http://upsconline/nic/in/miscellaneous/QPRep/ के माध्यम से "ऑनलाइन प्रश्न - पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)" द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएं। ई - मेल/डाक/दस्ती रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से भेजे गए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार किया नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा उम्मीदवार के साथ कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस विंडो की 7 दिन की अवधि समाप्त होने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा के आयोजन की तिथि से **दो सप्ताह** पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से पात्र उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

संघ लोक सेवा अयोग के परीक्षा भवनों के परिसर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सहायक कमांडेंट), सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें।

<u>ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को पढ़ लें:</u>

1. उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी योग्यता सुनिश्चित करें:

इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णत: **अनंतिम** होगा और निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी कर देने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी को अंतिम रुप से स्वीकार कर लिया गया है।

2. आवेदन कैसे करें

क. उम्मीदवारों को www.upsc.gov.in वेबसाइट का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि आवेदक ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्लेटफॉर्म में पंजीकरण नहीं कराया है, जिसका लिंक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है, तो उसे इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना चाहिए और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी कॉलम सही भरे गए हैं। आयोग, उम्मीदवारों द्वारा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन करने संबंधी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं करेगा।

ख. ओटीआर विवरण में संशोधन: यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफार्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी| ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 7 दिनों तक उपलबध रहेगी | इस मामले में ओटीआर पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख 20.06.2023 होगी |

ग. आवेदन पत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त): आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के 7 दिनों के बाद, इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके खुलने की तारीख से 7 दिनों के लिए अर्थात 14.06.2023 से 20.06.2023 तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई

परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर प्लेटफार्म में लॉग-इन करके तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन पत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

घ. उम्मीदवार, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रमाणन के उपरांत उचित माध्यम द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को दिनांक **30 जून, 2023** तक या उससे पूर्व, निम्नलिखित पते पर भेजेंगे : महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 13, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003; जिसे सत्यापन के उपरांत आयोग को आगे भेजा जाएगा।

3. **आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि**:

ऑनलाइन आवेदन पत्र **<u>दिनांक 13 जून, 2023</u> को अपराहन 6:00 बजे तक** भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के उपरांत आयोग को प्रेषित करने के लिए,** संलग्नकों/ प्रमाण पत्रों सहित **ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है।**

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट), सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा-निर्देश

कृपया www.upsc.gov.in वेबसाइट पर लॉग-ऑन करें और "Application for **CISF-LDCE 2023**" (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल - सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2023) हेतु आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

1. सीआईएसएफ- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने से पहले www.upsc.gov.in वेबसाइट पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा।
2. कृपया "लॉग-इन" बटन के नीचे उपलब्ध कराए गए लिंक पर विधिवत क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन अकाउंट खोलें।
3. पंजीकरण मॉड्यूल पर, अपना नाम (मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र में रिकार्ड किए अनुसार), सीआईएसएफ क्रमांक, रैंक तथा जन्म-तिथि (मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र में रिकार्ड किए अनुसार) दर्ज करें।
4. कृपया अपना ई-मेल दर्ज करें तथा इसकी पुष्टि करने हेतु अपना ई-मेल पता पुन: दर्ज करें।
5. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रैंडम संख्या को प्रविष्ट करें और 'सबमिट' बटन क्लिक करें।

   (क) सभी * अंकित प्रविष्टियां अनिवार्य हैं और इन्हें अवश्य भरा जाना चाहिए।

   (ख) कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपने ई-मेल पते हेतु विनिर्दिष्ट स्थान पर वैध और सक्रिय ई-मेल पता दिया है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए आपके पासवर्ड सहित आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी अर्थात आरआईडी भी आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पते पर भेजी जाएगी।

भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली - **24 मई, 2023**

नियमावली

संख्या. 45012/43/2020/कार्मिक.1- केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्ति वर्ष 2023 में सहायक कमाण्डेंट के पदों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है| **उम्मीदवारों का अंतिम चयन दिवाकर पाण्डे तथा अन्य बनाम गृह मंत्रालय तथा अन्य दवारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली (नई दिल्ली) में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5877/2022 के नतीजे के अधीन होगा |**

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

3. 01 जनवरी, 2023 को अभ्यर्थी की, प्रशिक्षण अवधि सहित, उपनिरीक्षक (जीडी)/ निरीक्षक (जीडी) रैंक में 04 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए । अभ्यर्थी की सेवा लेखा नियुक्ति पत्र जारी होने तक निष्कंलक होना चाहिए ।

4. उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त, 2023 को 35 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए । अर्थात उसका जन्म 02 अगस्त, 1988 से पहले न हुआ हो । हलांकि उपर्युक्त निर्धारित उपरी आयु सीमा का जहां तक संबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी को 05 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी ।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नही दी जाएगी।

5. प्रत्येक अभ्यार्थी जो एल.डी.सी.ई. (ए.सी.) में भाग लेने का पात्र है, उसे कुल 03 (तीन) मौके दिए जाएंगे ।

6. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की होनी चाहिए ।

7. एनसीसी 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र होना एक वांछनीय अर्हता है । इन वांछनीय अर्हताओं पर विचार केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय किया जाएगा ।

8. नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्दिष्ट केऔसुब 2023 में सहायक कमॉडेन्ट (कार्यकारी) के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सीय मानक पूरे करने होंगे ।

9. गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा के नियमों की सूची जारी होने और आयोग द्वारा परीक्षा की अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की वेब साइट पर ऑन लाइन आवेदन भरेगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) उचित माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसे आगे आयोग को भेजा जाएगा । निर्धारित पात्रता शर्तो के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की जांच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी । हालांकि परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

10. परीक्षा में आवदेन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते हैं । परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा अथवा व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः अंनतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने के अधीन होगा । यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक परीक्षाओं या व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तो में से कोई पूरी नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

11. इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश प्रमाण-पत्र परीक्षा की तारीख से दो सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिसे पात्र उम्मीदवारों द्वारा डाऊनलोड किया जा सकता है । पेपर वाला कोई ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा । जब तक उम्मीदवार के पास डाऊनलोड किया हुआ ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उन्हें परीक्षा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा ।

12(1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका हैः-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(।) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(।।) दबाव डालना, या

(।।।) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना ।

(च) गलत या झुठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनो का उपयोग किया है, अर्थात्ः

(I) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(II) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(III) परीक्षकों को प्रभावित करना;

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिस्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यो न हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गय प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे अस्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिएः

(I) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा ।

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा । यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्व उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तकः

(I) उम्मीदवार को इस सम्बंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(।।) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया जाए ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरूद्ध खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

13(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उनके विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते है उन्हें केऔसुब द्वारा शारीरिक मानदण्ड /शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्दिष्ट शारीरिक और चिकित्सीय मानदण्डों को पूरा करते हैं ।

13(2) किसी भी स्तर पर किसी अथवा सभी प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार आयोग के पास है तथा केवल ऐसे अभ्यथियों के औपचारिक प्रश्न पत्रों जिसमें उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम अर्हक मानदंड प्राप्त किए हो, मूल्यांकन करने का अधिकार आयोग के पास है ।

13(3) परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मानकों मे छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानदंड/शारीरिक क्षमता तथा चिकित्सा मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाए यदि आयोग को ऐसा लगे कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक/शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सा मानक परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं हैं ।

13(4) वे उम्मीदवार जो इस नियमावली के परिशिष्ट-।। विनिर्धारित शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया हैः-

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.)

		पुरूष	महिला
(क)	100 मीटर दौड़	16 सैकण्ड में	18 सैकण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सैकण्ड में	4 मिनट 45 सैकण्ड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(ड)	गोला फेंकना(शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.50 मीटर	--

ये परीक्षण केवल अर्हता प्रकृति के होगें और इनके कोई अंक नही होंगें । इन परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में असफलता अयोग्यता होगी ।

यदि परीक्षण के परिणामस्वोरूप कोई महिला उम्मीदवार, 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाई जाती है, तो उसे अस्थाई रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और प्रसव होने तक उसकी नियुक्ति को रोक दिया जाएगा । जिस रिक्ति के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया था, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए । किसी पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति के छह सप्ताह बाद, शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु उसका पुन: परीक्षण किया जाना चाहिए । अगर वह फिट पाई जाती है, तो उसे उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जा सकता है और सरकार के समय-समय पर यथासंशोधित अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है।

13(5) परिशिष्ट-।। में निर्धारित मानदडों की जांच करने हेतु केवल उन उम्मीदवारों का चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण {जिसमें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) यदि अपेक्षित हो, शामिल हैं} किया जाएगा, जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए गए हैं । उम्मीदवार को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में "फिट" या "अनफिट" घोषित किया जाएगा । जिन उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के दौरान "अनफिट" घोषित किया जाता है, उन्हें समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) में शामिल होने की अनुमति होगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में अपनी सहमति दें, जिस पर उनके हस्ताक्षर किए गए हों । उम्मीदवारों का समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (आरएमई), विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के क्रम में, मुख्यतया डीएमई के अगले दिन किया जाएगा ।

13(6) शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण का संचालन केऔसुब के पर्यवेक्षण में होगा । ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगें जिन्हे लिखित परीक्षा परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा ।

13(7) वे सभी उम्मीदवार जिन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के दौरान अनफिट घोषित किया गया है, आरएमई हेतु उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति देनी होगी, जिस पर उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों । इसे, उम्मीदवार को डीएमई में अपने अनफिट होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

13(8) जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों {जिसमें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (आरएमई), यदि अपेक्षित हो, शामिल हैं} में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा । जिन उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के दौरान अनफिट घोषित किया जाता है उन्हें समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) में शामिल होने की अनुमति होगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में अपनी सहमति दें, जिस पर उनके हस्ताक्षर किए गए हों । जिन उम्मीदवारों को डीएमई या आरएमई में चिकित्सकीय दृष्टिकोण से फिट घोषित किया जाता है, उन्हें साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा । साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के 200 अंक होंगे।

13(9) साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों के जीवन-वृत का रिकार्ड होगा । उम्मीदवार से प्रश्न उनके संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य अभिरूचि के विषयों से पूछे जाएंगें ताकि उनका/ उनकी जानकारी औैर समझ की जांच हो सके । विस्तृत अर्थो में यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों औैर चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा । बोर्ड विस्तृत रूप से अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगाः

(i) शारीरिक बनावट
- (क) आकृति
- (ख) आचरण
- (ग) शिष्टाचार एवं शिष्टता

(ii) सामान्य बुद्धिमता,अभिरूचि एवं रूचि
- (क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता ।
- (ख) अभिरूचि कार्य से संबंधित जैसे अनुशासन, सहानुभूति आदि
- (ग) पाठ्येतर गतिविधियां - खेलों, खेल-कूद वाद-विवादों आदि में भागीदारी ।

(iii) मनोवृत्ति
- (क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि
- (ख) आत्म निर्भरता
- (ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की योग्यता
- (घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक

(iv) व्यक्त्वि का व्यवहारिक पहलू
- (क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःव्यैक्तिक संबंध
- (ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्वता

13(10) ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षणों या चिकित्सा मानदण्डों परीक्षणों में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

14(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप सें प्रदान किए गये कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और तत्पश्चात आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों के सन्दर्भ में अर्हक अंक निर्धारित करेगा ।

14(2) आरक्षित रिक्तयों पर अ.जा. और अ.ज.जा. के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उदेश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गो के लिए भरे जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग अर्हक मानक में छूट दे सकता है ।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो से संबंधित उम्मीदवार जिन्होने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि जो उम्मीदवार योग्यता क्रम सूची में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु जिनका चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण का परीक्षाफल लम्बित है, उनको अस्थायी संस्तुति दी जाएगी ।

और बशर्ते कि उम्मीदवारों का अंतिम चयन दिवाकर पाण्डे तथा अन्य बनाम गृह मंत्रालय तथा अन्य दवारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली (नई दिल्ली) में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5877/2022 के नतीजे के अधीन होगा |

15. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने का रूप तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नही करेगा ।

16. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यो के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना न रहे । सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सीय जांच के बाद जो उम्मीदवार इन उपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा । उनको केऔसुब परिपत्र संख्या (145) दिनांक 28.01.2009 में बताए अनुसार वर्ष 2022 (अगस्त,2023 तक मान्य होना चाहिए) के दौरान शेप-I चिकित्सा श्रेणी में होना चाहिए ।

17. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा गृह मंत्रालय/ महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रशिक्षण और चिकित्सा जांच के लिए सहायक कमाण्डेंट (जीडी/कार्यकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए ऑफर भेजने हेतु भेजी जाएगी । चयनित उम्मीदवार बल के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें और दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगें ।

18. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता अथवा यात्रा खर्च परीक्षा के किसी भी स्तर पर देय नही होगा।

(आन्नद कुमार गौतम)
भारत सरकार के अवर सचिव

परिशिष्ट-I

<u>केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण तथा लिखित परीक्षा की योजना ।</u>

(I) लिखित परीक्षा की योजनाः-

लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित दो प्रश्न पत्र होंगे ।

प्रश्न पत्र -1 : सामान्य योग्यता, बुद्धिमता और व्यावसायिक कुशलता ।
(300 अंक) (150 प्रश्न) (2.30 घण्टे)

यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) का होगा । इसमें प्रश्न पत्र हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होंगे । प्रश्न पत्र निम्नलिखित दो भागों में होगा ।

भाग (क) : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता - (150 अंक)
(75 प्रश्न)

भाग (ख) : व्यावसायिक कुशलता - (150 अंक)
(75 प्रश्न)

प्रश्न पत्र 02 निबन्ध, संक्षेपण लेखन एंव अपठित गद्यांश - (100 अंक)
(2 घण्टे)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने का विकल्प होगा किन्तु संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र-।। के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि उपर वर्णन किया गया है, आयोग द्वारा अनुमत-माध्यम में ही लिखें । प्रश्न पत्र अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने पर उसका आंकलन नहीं किया जाएगा ।
टिप्पणी-2: उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा । यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है तो उसके निबंध का आंकलन नहीं किया जायेगा ।
टिप्पणी-3: प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक होगे जो आयोग द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।
टिप्पणी-4: आयोग लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा । केऔसुब द्वारा उन अभ्यर्थियों की पी0ई0टी0(शारीरिक क्षमता परीक्षा) आयोजित की जाएगी और केवल उन अभ्यर्थियों जिन्होंने पी0ई0टी0 परीक्षा पास कर ली है का एम0ई0टी0 (चिकित्सा परीक्षण) किया जायेगा ।
टिप्पणी-5: जो अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें आयोग द्वारा आयोजित किए गए साक्षात्कार में शामिल होना होगा ।

यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आगे कार्यवाही के लिए केऔसुब प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।

(।।) लिखित पत्रों के पाठ्यविवरण:-

प्रश्न पत्र -1 सामान्य योग्यता, बुद्धिमता एवं व्यावसायिक कुशलता ।
भाग-क सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता:- प्रश्न पत्र में बहु-विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे ।

1. सामान्य मानसिक योग्यता

यह प्रश्न तार्किक विवेचना, मात्रात्मक अभिरूचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ा निर्वचन के परीक्षण हेतु किए जाएंगे ।

2. सामान्य विज्ञान

ये प्रश्न सामान्य विज्ञान सचेतना वैज्ञानिक प्रकृति, नये क्षेत्रों के महत्व जैसे सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समक्ष (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किया जाएगा ।

3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-समायिक घटनाएं

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राराष्ट्रीय महत्व की सम-समायिक घटनाओं से संबंधित व्यापक क्षेत्रों जैसे संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक पहलुओं, उद्योग, व्यवसाय भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव की सचेतना के प्रति परीक्षण किया जा सकेगा ।

4. सामान्य ज्ञान

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान तथा उससे जुड़े संबद्ध प्रश्न जैसे भारत का इतिहास, भारत और विश्व भूगोल के साथ-साथ भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था विषयों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा ।

भाग (ख) : व्यावसायिक कुशलता ।

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की व्यावसायिक कुशलता जो केऔसुब की प्रचालात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करती है का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई है ।

1. केऔसुब सबंधित व्यावसायिक योग्यता ।
   - औद्योगिक सुरक्षा
   - औद्योगिक संरक्षा और अग्निशमन
   - आपदा प्रबंधन
   - विमानन सुरक्षा
   - आसूचना और अपराध - जासूसी, विध्वंस, विद्रोही गतिविधि
   - परिधि सुरक्षा
   - महत्वपूर्ण संस्थानो, डी0 ए0 ई0, मेट्रो रेल, अंतरिक्ष संस्थानों की सुरक्षा
   - तकनीकी उपस्करों का प्रयोग-अलार्म, पता लगाना, घुसपैठ, आवागमन नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा
   - बम निरोधक
   - वी आई पी सुरक्षा
   - आंतरिक सुरक्षा और चुनाव ड्यूटी
2. कानून
   - सीआर.पी.सी. (खोजना, जब्त करना, और गैर कानूनी सभा)
   - आई.पी.सी. (चोरी, उठाईगीरी, धोखा धड़ी, भ्रष्टाचार आदि)
   - साक्ष्य अधिनियम (खोजना, साक्ष्य एकत्र और जब्त करना)
   - श्रम कानून (औद्योगिक विवाद अधिनियम, कार्मिक प्रतिपूर्ति अधिनियम ई.पी.एफ. अधिनियम)
   - अन्य अपराधिक गतिविधियो
   - मानवाधिकार
3. कम्प्यूटर दक्षता और जागरूकता
   - कंम्प्यूटर सुरक्षा
   - प्रारंभिक कम्प्यूटर प्रचालन
   - प्रारंभिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
4. सेवा नियम और एच आर मामले
   - सी.सी.ए. नियम
   - केऔसुब अधिनियम और नियम
   - केऔसुब से संबंधित एचआर कार्य

प्रश्न पत्र ।।: निबंध, अपठित गद्यांश और संक्षेपण लेखन

यह प्रश्न पत्र दिए गये निबंध के विषय पर उम्मीदवारों के विचारों को सुसंगत, क्रमबद्ध, संक्षिप्त, समझने योग्य तथा सुबोध तरीके से प्रभावी तथा वर्तनी त्रुटि रहित, व्याकरण की दृष्टि से शुद्दध भाषा में प्रस्तुत कर पाने की योग्यता का परीक्षण करेगा ।

इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पत्र से उम्मीदवार की संक्षेपण लेखन (प्रेसी राईटिंग) तथा अपठित गद्यांश के लिए दिए गए पैराग्राफ को समझने तथा संक्षेपण उद्धरण का सार लिखने की निपुणता और अपठित गद्यांश उद्धरण में लघु प्रश्नों के जवाब देने की योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकेगा ।

परिशिष्ट-।।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2023 के माध्यम से केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेंट्स के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदंड

परिशिष्ट-(क)

(1) शारीरिक मानदण्ड: सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

	पुरूष	महिला
लंबाई	165 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)	157 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)
	162.5 सेमी, (अनुसूचित जनजाति)	154 सेमी, (अनुसूचित जनजाति)
सीना (बिना फुलाए)	81 से.मी. (कम से कम 5 से.मी. फुलाव के साथ)	लागू नहीं
वजन	लंबाई के अनुरूप (सभी उम्मीदवारों के लिए)	लंबाई के अनुरूप (सभी उम्मीदवारों के लिए)
चिकित्सा श्रेणी	शेप-1	शेप-1

इसके अलावा, वजन परिशिष्ट-।। (ख) में दर्शाई गई लंबाई और वजन आयु के अनुसार होना चाहिए ।

(2) चिकित्सा मानदण्ड:

(क) ऑखों की दृष्टिः

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)	अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)
6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	जे-। (करेक्टेड)	जे-।। (करेक्टेड)

उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भैंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंगदृष्टि होनी चाहिए । उम्मीदवार की इशिहारा परीक्षण और एड्रिज-ग्रीन-लैंटर्न परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि की जांच की जाएगी । आंखों में दीप्ति, स्पष्टता के साथ-साथ कोई भी दोष/बीमारी नहीं होनी चाहिए । आंखों की पुतलियॉ पूरी तरह घुमानी हों और सभी दिशाओं में घूमने को स्वतंत्र हों । निकटदृष्टि के मामले में नेत्रबुध्त

(फण्डस) परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे । कांटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है ।

(ख) कैरिंग एंगल
कैरिंग एंगल पुरूषों के लिए 15 डिग्री और महिलाओं के लिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) कान

(I) उम्मीदवार में किसी प्रकार की बधिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान बहता न हो ।

(II) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे - मियेटस, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म जो कर्णमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हो और वृत्त या प्रत्यावर्ती कर्णशूल, कर्णस्वेण तथा भ्रमि नहीं होने चाहिए ।

(घ) नाक- उम्मीदवार में डी एन एस, शोषीनाशा शोध, यक्ष्मिकीय व्रण, जीर्ण वायुविवर नहीं होनी चाहिए ।

(ड) ग्रीवा- उम्मीदवार में विस्तृत लसिका पर्व, थायरायड या अन्य ग्रीवा उत्सेध (सूजन) नहीं होना चाहिए जो ग्रीवा को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षम या मेरूदण्ड या ग्रैव के शरूका की बीमारियों का कोई प्रमाण देते हों ।

(च) दंत- उम्मीदवार में सुचारू चर्वन के लिए समुचित संख्या में पूरे दंत अवश्य होने चाहिए । उम्मीदवार में गंभीर पायरिया न हो ।

(छ) रतिज रोग- उम्मीदवार में नैदानिक वीडी के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिएं ।

(ज) चिरकालिक त्वचा रोग- उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, चिरकारी त्वचाशोथ, सघन तुषामशल्कन वर्सीकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिएं

(3) सामान्य मानदण्ड:

(क) शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए ।

(ख) उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का सन्धि शोध, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार के हृदय के लक्षण नहीं होने चाहिए ।

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल तथा प्रत्यक्ष सूजन दृष्टिगोचर नहीं होनी चाहिए ।

(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए, किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका - माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए । दिल एवं फेफडे स्वस्थ होने चाहिएं ।

(ड) अंग, हस्त तथा पाद सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिएं तथा सभी संधियों की गति श्रेष्ठ होनी चाहिए ।

(च) अस्थि संबंधी कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिएं ।

(छ) सभी संधियों की गति अबाध तथा श्रेष्ठ होनी चाहिएं ।

(ज) पाद तथा पाद के अंगूठें सुगठित होने चाहिएं ।

(झ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं होना चाहिए ।

(ञ) किसी पुराने तीव्र या चिरकालिक रोग के संकेत, जिससे दोषयुक्त गठन का पता चले, नहीं होने चाहिए ।

(ट) उम्मीदवार को जनन मूत्र पथ का कोई रोग न हो ।

(ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणेकोशीय सूजन या किसी प्रकार हर्निया न हो ।

(ड) (केवल पुरूषों के लिए) दोनों वृषण वृषणकोश में हैं तथा सामान्य आकार के हैं।

(ढ) उम्मीदवार के संघट्ठ जानु, चपटे पाद, अतस्फीत शिराएं नहीं होनी चाहिएं ।

(ण) उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो ।

(4) उम्मीदवार हृदयक्षिप्रता (नाडी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या हृदयमन्दता (नाड़ी दर 50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो ।

(5) उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कॉन्डिलोमेटा मलाशय भंरश से पीडित न हो

<u>स्पष्टीकरणः-</u>

टिप्पणीः 1. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षण, गृह मंत्रालय के यूओ दिनांक 20.05.2015 द्वारा जारी संशोधित एकसमान दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिए समीक्षा चिकित्सा परीक्षण, गृह मंत्रालय के यूओ सं. ई-32012/एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई एवं आरएमई/डीए-1(2020)/पार्ट फाइल/1166 दिनांक 31.05.2021 के तहत जारी समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु संशोधित एकसमान दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

2. उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में "फिट" या "अनफिट" घोषित किया जाएगा । जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में अनफिट घोषित किया जाता है, उन्हें समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष, मुख्यतया विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के अगले दिन उपस्थित होने की अनुमति होगी ।

<u>परिशिष्ट-II (ख)</u>

विभिन्न आयु वर्गो तथा लंबाई के लिए पुरूष औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

लंबाई से.मी.	आयु वर्षो में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86

188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयु वर्गो तथा लंबाई के लिए महिला औसत शारीरिक वजन - किलोग्राम में

लंबाई से.मी.	आयु वर्षो में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

- इस सारणी में केवल कुछ लंबाई (से0मी0) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं । बीच की लंबाई के संबंध में शारीरिक वनज की गणना के लिए “औसत'' का सिद्धान्त प्रयुक्त किया जा सकता है ।
- सारणीबद्ध लंबाई से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए लंबाई में प्रत्येक एक से.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढाया या घटाया जा सकता है ।

******